रजिस्ट्री सं. डी.एल.- **33004/99** **REGD. No. D. L.-33004/99**

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229486
SG-DL-E-08092021-229486

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	**दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 161**
No. 254]	**DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943**	**[N. C. T. D. No. 161**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय

इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अध्यादेश

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

फा. सं. IIITD/Ordinance/57/000327046/472.—आईआईआईटी (इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 24 की उप धारा (1) (क) और (2) के साथ पठित धारा 18 की उप धारा (2) (ख) और (ड) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) के पूर्व अनुमोदन के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी. डिप्लोमा) के लिए निम्नलिखित अध्यादेश (11वां अध्यादेश) बनाते हैं, अर्थात : -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस अध्यादेश को आईआईआईटी (इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान)-दिल्ली "11 वां अध्यादेश" कहा जा सकेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएँ : -** जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अध्यादेश में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम और परिनियमों में उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे।

3. **पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश -**

1. **सामान्य**

(1) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की मूलभूत संरचना और दर्शन शास्त्र को स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए विनियमों में परिभाषित किया गया है और सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों पर लागू होता है, जिनकी संस्थान द्वारा प्रस्तुति की जा सकती है। हालांकि, किसी कार्यक्रम की अतिरिक्त अपेक्षाएं हो सकती हैं, जो उस कार्यक्रम के विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) सीनेट सभी शैक्षणिक विषयों के लिए मुख्य निकाय है, और इसमें कुछ भी रहते हुए जो विनियमों में उल्लेखित है, सीनेट को समय-समय पर किसी विनिमय को संशोधित/शिथिल करने का अधिकार है। प्रस्तुत किये गए किसी भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (कार्यक्रमों) से सम्बंधित सभी लागू नियम और विवरण, सीनेट के अनुमोदन के उपरान्त, संस्थान की वेबसाइट पर विनियमों और विवरणिका में प्रकाशित किये जाएंगे।

2. **शैक्षणिक सत्र (कैलेंडर)**

(1) प्रत्येक पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम का शैक्षणिक वर्ष (कैलेंडर) और अनुसूची को संस्थान के शैक्षणिक सत्र (कैलेंडर) में अलग से परिभाषित किया जाएगा और कार्यक्रम विशिष्ट के लिए विवरणिका में घोषित किया जाएगा।

3. **प्रवेश**

(1) किसी भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश की विधि और पात्रता मानदंड, सीनेट द्वारा निर्धारित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष विवरणिका में घोषित किया जाएगा।

(2) संस्थान के किसी भी अनुमोदित कार्यक्रम में किए जा सकने वाले प्रवेशों की संख्या का निर्णय शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) द्वारा किया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष विवरणिका में घोषित किया जाएगा। मंडल इसके लिए सीनेट से निवेश की मांग करेगा।

(3) आरक्षण नीति शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) द्वारा निर्मित होगी, और प्रत्येक वर्ष की प्रवेश विवरणिका में उल्लेखित होगी।

(4) संस्थान के किसी कार्यक्रम में अस्थाई रूप से या अन्यथा से दाखिल प्रत्येक विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक, अर्हक डिग्री/अस्थाई प्रमाण-पत्र और सीनेट द्वारा यथा-निर्धारित अन्य ऐसे प्रलेख, विवरणिका में निहित प्रक्रिया के अनुसार जमा करेगा।

(5) एक विद्यार्थी का प्रवेश, कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय सीनेट द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि विद्यार्थी ने प्रवेश लेते समय कोई झूठी जानकारी दी थी या सम्बद्ध जानकारी छिपाई है।

(6) प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का शुल्क, शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) द्वारा यथा-निर्णीत होगा।

4. **अध्यापन और मूल्यांकन**

(1) विदेशी / स्थानीय भाषाओं सम्बन्धी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

(2) पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के लिए शिक्षा का कोई भी माध्यम (ऐनी मॉड ऑफ इंस्ट्रक्शन) अपनाने के लिए संस्थान मुक्त होगा, जिसमें ऑन-लाइन कक्षाएं अथवा ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन कक्षाओं का संयोजन, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी उद्योग भागीदार के साथ सहयोग से, अथवा कोई अन्य तरीका शामिल हो सकता है और साथ ही ऐसे नियम और शर्तों पर, जिन्हें शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(3) शिक्षण और मूल्यांकन के साधन और प्रणाली, उपस्थिति आवश्यकताओं, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक आवश्यकताओं को पी.जी डिप्लोमा कार्यक्रमों के विशिष्ट विनियमों द्वारा परिभाषित किया जाएगा और यह एक कार्यक्रम से दूसरे के लिए भिन्न हो सकते हैं।

(4) प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद निष्पादन का प्रमाणीकरण मूल्यांकन प्राप्त होगा। प्रमाणीकरण ग्रेड अथवा पूर्ण अंकों के संदर्भ में हो सकता है और पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए विनियमों में अलग से निर्दिष्ट किया जाएगा। विनियम किसी प्रोग्राम के पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण मानदंड को भी निर्दिष्ट करेंगे।

(5) एक बार प्रदान किये गये प्रमाणीकरण को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता है और सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

5. **कार्यक्रम की अनवरता**

(1) डिप्लोमा कार्यक्रम में निरंतरता रखने के लिए विद्यार्थी को शैक्षणिक और अशैक्षणिक आवश्यकताओं, उपस्तिथि और किसी भी अन्य मामले में संतोषजनक प्रदर्शन दर्शन होता है, जैसा की विनियमों में यथा-परिभाषित है। यदि विद्यार्थी का प्रदर्शन निर्धारित से कम पड़ता है, तो एक विद्यार्थी को कार्यक्रम के किसी भी हिस्से को दोहराने को कहा जा सकता है, उसे चेतावनी दी जाये, परिवीक्षाधीन रखा अथवा कार्यक्रम रद्द किया जा सकता है।

6. **स्नातक स्तर की पढ़ाई की आवश्यकताएं और डिप्लोमा प्रदान करना**

(1) एक विद्यार्थी सीनेट द्वारा निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अपेक्षाएं और जैसा विनियमों और विवरणिका में यथा-विनिर्दिष्ट है, पूरी करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने योग्य बन जाता है।

(2) एक विद्यार्थी जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम सम्बन्धी सभी अपेक्षाएं पूरी करता है, उसे सीनेट द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, सीनेट द्वारा शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) को अनुशंषित किया जाता है।

(3) विशेष परिस्थितियों के अधीन, जहाँ स्नातक सम्बन्धी गंभीर उल्लंघन होता है या बेईमानी के साधनों के प्रयोग का बाद के चरण में पता चलता तो सीनेट पूर्व प्रदान किए गए डिप्लोमा को वापस लेने हेतु शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गॅवरनॅर्स) को संस्तुति कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ओ. पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक (टी. टी. ई.)

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DELHI

ORDINANCE FOR POSTGRADUATE DIPLOMA PROGRAM

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2021

F. No. IIITD/Ordinance/57/000327046/472.—In exercise of powers conferred by sub-section (2)(b) and (e) of Section 18 read with subsection (1)(a) and (2) of Section 24 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology) Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Director with the prior approval of the Board of Governors, hereby makes the following Ordinance (11th Ordinance) for Post Graduate Diploma (P.G. Diploma) as following, namely:-

1. **Short title and Commencement.**-(1) This Ordinance may be called the IIIT ((Indraprastha Institute of Information Technology)-Delhi "11th Ordinance".

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions.**-Words and expressions used in this Ordinance shall have the meaning assigned to them in the Act and the Statutes, unless the context otherwise requires.

3. **Ordinance for P.G. Diploma Program.-**

1. General

(1) The basic structure and philosophy of a Postgraduate Diploma program is defined in Regulations for Postgraduate Diploma Program, and are applicable to all Postgraduate Diploma programs that may be offered by the Institute. However, a program may have additional requirements, which will be specified in the regulations for that program.

(2) The Senate is the main body for all academic matters, and notwithstanding anything that has been stated in the regulations, the Senate has the right to modify/relax any of the regulations from time to time. All applicable rules and details pertaining to any of the Post Graduate Diploma program(s) offered shall be published in the regulations and prospectus on the Institute's website, after obtaining Senate approval.

2. Academic Calendar

(1) The academic year and schedule of each PG Diploma program shall be defined separately in the academic calendar of the Institute and announced in the prospectus for the particular program.

3. Admission

(1) Eligibility criteria and method of admission to any Postgraduate Diploma shall be decided by the Senate and announced every year in the prospectus.

(2) The number of admissions that can be made to any approved program of the Institute shall be as decided by the Board of Governors, and announced in the prospectus each year. The Board shall seek inputs for the same from the Senate.

(3) The reservation policy shall be decided by the Board of Governors, and shall be announced in the admission prospectus each year.

(4) Every student admitted provisionally or otherwise to any program of the Institute, shall submit, by the prescribed date, copies of the qualifying degree/provisional certificate and other such documents as prescribed by the Senate and in accordance with the procedure laid down in the prospectus.

(5) The admission of a student may be cancelled by the Senate at any time during the program if it is found that the student had supplied some false information or suppressed relevant information while seeking admission.

(6) Fees for admitted students shall be as decided by Board of Governors.

4. Teaching and Evaluation

(1) The medium of instruction will be English for all courses, except for courses on foreign/local languages.

(2) It shall be open to the Institute to adopt any mode of instruction for the PG Diploma program(s), which may include on-line classes or a combination of on-line and off-line classes, either individually or in association with an industry partner, or in any other manner and on such terms and conditions as may be approved by the Board of Governors.

(3) The mode and manner of teaching and evaluation, attendance requirements, academic and non-academic requirements will be defined by the specific regulations of the PG Diploma Programs and may vary from one program to another.

(4) Every student will receive a certification assessment of performance after completing a course. The certification may be in terms of grades or absolute marks and will be specified separately in the regulations for PG Diploma Program. The regulations will also specify the passing criteria of a course of a program.

(5) The certification once awarded shall not be changed unless the request is made by the instructor of the course and is approved by the Senate.

5. Continuing in the Program

(1) For continuing in the Diploma program the student has to show satisfactory performance in academic and non-academic requirements, attendance and in any other matter, as may be defined in the Regulations. If the student's performance falls short of the prescribed requirements, a student may be asked to repeat any portion of the program, placed under warning/probation, or his/her program may be terminated.

6. Graduation Requirements and Grant of Diploma

(1) A student becomes eligible for the award of the Postgraduate Diploma after fulfilling all the academic and non-academic requirements for graduation prescribed by the Senate and as specified in the Regulations and prospectus.

(2) A student who completes all graduation requirements for the Post Graduate Diploma program is recommended by the Senate to the Board of Governors (BOG) for the award of Postgraduate Diploma as prescribed by the Senate.

(3) Under exceptional circumstances, where gross violation of the graduation requirements or use of dishonest means is detected at a later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw an already awarded Diploma.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

O.P. SHUKLA, Jt. Director, TTE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.08 16:48:50 +05'30'